न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 102/2024 G.C.M.S. No. 2024/427 दर्ज दिनांक 25.10.2024

अपीलार्थिगण:

1. रामाराम पुत्र हुकमाराम, जाति जाट, निवासी देवड़ा तहसील चितलवाना जिला सांचौर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. नेनाराम पुत्र धरमाराम
2. मादाराम पुत्र हुकमाराम जातियान जाट, निवासी देवड़ा तहसील चितलवाना जिला सांचौर
3. आशा पुत्र भोमा
4. ओखाराम पुत्र लादा
5. कृष्ण कुमार पुत्र जानु
6. गणपतलाल पुत्र माना
7. दानाराम पुत्र जवाराम
8. नगाराम पुत्र जवाराम
9. नागजीराम पुत्र जानु
10. नागजी पुत्र माना
11. जीवा पुत्र वना
12. नावी पत्नी वना के कायम मुकामः
    - 12/1. आम्बाराम पुत्र वना
    - 12/2. जीवा पुत्र वना
13. बेसरा पुत्र हीरा
14. मुकेश पुत्र माना
15. मटु पत्नी बादरा के कायम मुकामः–
    - 15/1. श्रवण गोदपुत्र बादरा
16. मथरा पत्नी जानु
17. हरीशंकर पुत्र जानु
18. राजु पुत्र माना
19. राणा पुत्र भोमा
20. हरसन पुत्र हीरा
21. लच्छा पुत्र नारणा के कायम मुकामः–
    - 21/1. रणछोडाराम पुत्र लच्छा
    - 21/2. हिमताराम पुत्र लच्छा
    - 21/3. जबराराम पुत्र लच्छा
    - 21/4 भंवरलाल पुत्र लच्छा
    - 21/5 अणसी पुत्री लच्छा पत्नी वरजीगाराम जातियान ब्राहम्ण निवासी जेतू तहसील बागोड़ा जिला सांचौर
    - 21/6 गोमती पुत्री लच्छा पत्नी श्रीराम जाति ब्राहम्ण, निवासी आमली तहसील व जिला सांचौर
22. लालाराम पुत्र हीरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

23. आम्बाराम पुत्र हीरा
24. अर्जुनराम पुत्र जवा, जातियान तमाम ब्राहम्ण, निवासी देवड़ा तहसील चितलवाना जिला सांचौर
25. अमरती पत्नी ओमा
26. अर्जुन पुत्र सुरजा के कायम मुकाम–
    26/1. मोहन पुत्र अर्जुन
    26/2. बाबु पुत्र अर्जुन
27. नवलाराम पुत्र धर्मा
28. प्रभु पुत्र उमा
29. भगवानाराम पुत्र धर्मा
30. मांगीलाल पुत्र धर्मा
31. गवरी देवी पत्नी धर्मा के कायम मुकामः–
    31/1. नवलाराम पुत्र धर्मा
    31/2. भगवाना पुत्र धर्मा
    31/3. मांगीलाल पुत्र धर्मा, जाति जाट, निवासी देवड़ा तहसील चितलवाना जिला सांचौर
32. चैनी बाई पुत्री जगमाल पत्नी खेताराम जाति जाट, निवासी सोभडावास, तहसील बागोड़ा जिला सांचौर
33. स्टेट बैक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा देवडा तहसील चितलवाना जिला सांचौर
34. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चितलवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखंड अधिकारी चितलवाना मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2022 बउनवान नेनाराम बनाम रामाराम में पारित आदेश दिनांक 29.08.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः–

1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री जगदीश गोदारा विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या

निर्णय

दिनांकः 25.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखंड अधिकारी चितलवाना मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2022 बउनवान नेनाराम बनाम रामाराम में पारित आदेश दिनांक 29.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 32 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा देवड़ा में उसकी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1155 रकबा 0.770 हैक्टर की आई हुयी है जिसमें प्रार्थी की रहवासी ढाणी है व काश्त कर रहा है

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जिसमें आवागमन के लिए रास्ता नहीं होने से रास्ते की अत्यत आवश्यकता है अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 24 तक की सामलाती खातेदारी खसरा नम्बर 1289, खसरा संख्या 1151 एवं खसरा संख्या 1154 में से क्रमशः 04 मीटर चौड़ा एवं 155 मीटर लम्बा, 04 मीटर चौड़ा एवं 77 मीटर लम्बा, 04 मीटर चौड़ा, 95 मीटर लम्बे रास्ते की आवश्यकता है प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा संलग्न है। वह परिशिष्ट अ में दर्शाया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 1155 में आवागमन हेतू रास्ते की मांग की गई थी परन्तु उक्त खसरा नम्बर में 12 अन्य खातेदार भी राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज है एवं उक्त खसरा अविभाजित है उनके द्वारा उक्त रास्ते की मांग न करते हुये मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जो प्रथमदृष्टया ही खारिज होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ से भी यह स्पष्ट नही है कि कोन सी तारीखो में पेशी के नोटिस जारी हुये एवं कब तामील हुये रेस्पोडेन्ट सख्या 01 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह नही दर्शाया कि उसके पास अन्य कोई रास्ता आवागमन हेतू उपलब्ध नहीं है एवं अपीलान्ट द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया था उसमें स्पष्ट किया गया था रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास अपनी आराजी में जाने हेतू ग्राम देवडा से निम्बाउ जाने वाली सड़क से खसरा नम्बर 1902/231, 1903/226. 1909/931 एवं 1904/227 में से आवागमन हेतू रास्ता उपलब्ध है एवं खसरा नम्बर 1036, 1149, 1150, 1151/1942, 1152, 1157, 1160 एवं 1161 की आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सामलाती आराजी है। जिसमे से निकटतम रास्ते की सुविधा उपलब्ध है। परन्तु मात्र अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 24 की भूमि में से जानबुझकर उनकी भूमि को खराब करने की नियत से उक्त रास्ते की मांग की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार महोदय को दिनांक 15.05.2024 को मौका देखने हेतू आदेशित किया गया था परन्तु तहसीलदार द्वारा दिनाक 14.08.2024 से पूर्व मौका रिर्पोट प्रस्तुत की गई थी जिसमें खसरा नम्बर 1155 में कुल 13 काश्तकार होने का उल्लेख किया गया है एवं उनका सामलात में कब्जा होने का उल्लेख किया गया है। उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 1155 के तमाम खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपना जबाब पेश किये जाने के पश्चात पूनः मौका रिर्पोट अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तलब की गई थी जिस पर दिनांक 14.08.2024 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दूसरी मौका रिर्पोट प्रस्तुत हुई थी उसमें मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुंचाने के नियत से उसका नाम कब्जा काश्त में दर्ज किया गया एवं तहसीलदार महोदय ने स्वंय मौका निरीक्षण न कर पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक के माध्यम से मौका रिर्पोट बनवाई गई जिसमें खसरा नम्बर 1909/231, 1902/231,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

1904/227 एवं 1903/226 मे मुख्यत आपसी बंटवाडा बताने का स्पष्ट उल्लेख किया है ऐसी स्थिति में उक्त आराजी मे से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रास्ता दिया जाना चाहीए था परन्तु अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 24 को परेशान करने के नियत से उक्त रास्ता अपीलाधीन आदेश के जरिये दिया गया है जिससे उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य मौका निरीक्षण में न तो अपीलान्ट को कोई सूचना दी गई है एवं न ही अपीलान्ट वक्त मौका निरीक्षण उपस्थित था मौका निरीक्षण फर्द में अप्रार्थी जेठाराम पुत्र रामाराम द्वारा उपस्थित होना एवं हस्ताक्षर करने से इन्कार किये जाने का नोट अंकित किया गया है परन्तु जेठाराम अपीलान्ट का पुत्र है एंव गलत रूप से उसकी उपस्थिति मौके पर होना दर्शाया है वस्तुत अपीलान्ट रामाराम राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है एवं किसी गैर खातेदार की उपस्थिति में बताई जाकर उसके हस्ताक्षर करने से इन्कार किये जाने का कोई औचित्य वादग्रस्त प्रकरण में न होते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही की गई है एवं मौका रिर्पोट में जिन व्यक्तियो के हस्ताक्षर करवाये गये है व व्यक्ति उक्त आराजी के खातेदार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 1903/226, 1904/227. 1902/221 एवं 1909/231 तथा 1661 में से आवागमन किये जाने से इन्कार नहीं किया गया है एवं मौका रिर्पोर्ट जो अपीलान्ट के जबाब प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् तैयार की गई थी उसमें खसरा नम्बर 1661 की भूमि के पश्चिम की तरफ से रास्ता चलता होना स्पष्ट किया गया है एवं वहा से खसरा नम्बर 1155 की दूरी कम दर्शायी गई है जो मात्र 0.80 हैक्टर दर्शाया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जो रास्ता अपीलाधीन आदेश के जरिये दिलवाया गया है वह रास्ता 0.144 हैक्टर दर्शाया गया है। दोनो ही मौका रिर्पोर्ट में उक्त भूमि जो रेस्पोडेन्ट संख्या को रास्ते के रूप में दिलवाई जा रही है उसकी डी.एल.सी दर क्या होगी उसका उल्लेख नही किया गया है जो धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो की गलत व्याख्या करते हुये मौका रिर्पोट तैयार की गई है एवं उसे सही मानते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 21 लच्छा पुत्र नारणा का स्वर्गवास दिनांक 03.12.2022 को प्रकरण के विचाराधीन रहते हो चुका था एवं उसके विधिक वारीसान भी राजस्व रेकर्ड पर आ चुके थे यानी उनका नाम जमाबन्दी में दर्ज हो चुका था परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं दर्शाया गया है एवं अपीलाधीन आदेश मृतक व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया गया है जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। लच्छा का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वर्तमान जमाबन्दी अपील के साथ प्रस्तुत की जारीरही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी चितलवाना के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2022 नेनाराम बनाम रामाराम आदि में पारित आदेश दिनांक 29.08.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 प्रार्थी द्वारा ग्राम देवड़ा तहसील के खसरा संख्या 155 रकबा 0.77 हैक्टर में आवागमन के लिए रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1289, 1151, 1154 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन आदेश में रेस्पोंडेंट संख्या 1 नेनाराम बतौर प्रार्थी तथा अपीलांट रामाराम और अन्य रेस्पोडेन्ट बतौर अप्रार्थी संयोजित है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 21 लच्छाराम पुत्र नारणा बतौर खातेदार दर्ज है, जिसकी मृत्यु दिनांक 29.08.2024 को हो चुकी थीं। इसके बावजूद मृतक के वारिसान को बतौर कायम मुकाम संयोजित नहीं किया गया तथा मृतक के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.08.2024 पारित किया गया।
2. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, अपीलाधीन निर्णय एवं अपीलाधीन निर्णय द्वारा रास्ता स्वीकृत करने से प्रभावित खसरान के भू नक्शा एवं मौका रिपोर्ट आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार लच्छाराम पुत्र नारणा के वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार संयोजित किए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है एवं लच्छाराम दिनांक 03.12.2022 को फौत हो चुके थे तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.08.2024 इसके पश्चात पारित किया गया। अतः अपीलाधीन निर्णय काबिल अपास्त है।
3. पत्रावली पर उपलब्ध प्रकरण की मौका जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका फर्द पर प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 नेनाराम, रेस्पोडेन्ट संख्या 31/2 भगवानाराम के अतिरिक्त अन्य किसी प्रभावित खातेदार के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं न ही मौका फर्द में प्रभावित खसरा संख्या 1289, 1151, 1154 के खातेदारान को मौके पर उपस्थित होने के लिए सूचित किए जाने/बावजूद सूचना उपस्थित/अनुपस्थित या हस्ताक्षर करने से इंकार करने आदि का कोई अंकन नहीं हैं। इससे साफ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील अधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

जाहिर होता है कि संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा मौकाफर्द प्रभावित खातेदारान को सूचित किए बिना तैयार की गई हैं। जबकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा इस संबंध में स्पष्ट निर्देश एवं आदर्श प्रारूप जारी किया हुआ है। जिसकी पालना नहीं की गई।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर पत्रावली विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2022 बउनवान नेनाराम बनाम रामाराम में पारित आदेश दिनांक 29.08.2024 को अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण में दीगर रेस्पोडेन्ट्स अप्रार्थीगण को समूचित तामिल करवाते हुए अप्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए, प्रभावित खातेदारान को सूचित करवाते हुए भू. अ. निरी. से अनिम्न राजस्व अधिकारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर रास्ते के आत्यतिक आवश्यकता एवं निकटतम दूरी के विकल्प का परीक्षण करते हुए आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner